<u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाधाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—141 / 2015</u> <u>संस्थित दिनांक—16.02.2015</u> <u>फाईलिंग क.234503001472015</u>

1—जुलेखा बी पित सुभानअली, उम्र—55 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी—कम्पाउण्डर टोला बैहर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—नासिर अली पिता सुभानअली, उम्र—35 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी—कम्पाउण्डर टोला बैहर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—वाहिदा पिता खुर्शीद मोहम्मद खान, उम्र—45 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी—कम्पाउण्डर टोला बैहर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — —

<u>आरोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक-16/11/2015 को घोषित)</u>

1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34 (दो बार), 324/34 एवं 506 भाग—2 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—05.02.2015 को को रात्रि 07:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत वार्ड नंबर 2 कम्पाउण्डरटोला बैहर, नासिर के मकान के आंगन में लोकस्थान पर फरियादी अकीला को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित करते हुए अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर आहतगण अकीला व परवीन बानो को मारपीट करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उक्त आहतगण को हाथ—मुक्कों से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा आहत रिजाला को नाखून से खरोंच कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी अकीला को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर

आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—05.02.2015 को करीब 7:00 बजे फरियादी अकीला और उसकी बड़ी बहन परवीन बानो अपनी दोनों भांजियों के साथ गजाला को देखने घर गए थे और बैठकर भांजियों के साथ बातचीत कर रहे थे, उसी समय गजाला की सास जुलेखा बी, पित नासिर और ननद वाहिदा आये और तुम हमारे घर में क्यों आए हो कहकर अश्लील गालियां देते हुए हाथ—मुक्कों से मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने परवीन बानों तथा भांजी रिजाला आए तो उन्हें भी धक्का मुक्की करने लगे। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी अकीला ने थाना बैहर में आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज कराई, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक—11/15, धारा—294, 323, 34 भा.द.वि. में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार कर गवाहों के कथन लिये गये तथा आरोपीगण को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।
- 3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34 (दो बार), 324/34, 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान फरियादी अकीला एवं आहत परवीन बानो ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया जिसके फलस्वरूप आरोपीगण के विरूद्ध धारा—294, 323/34 (दो बार) एवं 506 भाग—2 भा.द. वि. के अपराध का शमन किया गया है तथा शेष अपराध अंतर्गत धारा—324/34 भा.द. वि के तहत अशमनीय होने से आहत रिजाला को आई चोट हेतु विचारण पूर्ण किया गया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपीगण ने मिलकर दिनांक—05.02.2015 को को रात्रि 07:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत वार्ड नंबर 2 कम्पाउण्डरटोला बैहर, नासिर के मकान के आंगन में आहत रिजाला को नाखून से खरोंच कर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत रिजाला को नाखून से खरोंचकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

- 5— रिजाला (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना के समय उसका आरोपीगण से मौखिक वाद—विवाद हो गया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपीगण ने उसे नाखून से नोंचकर चोट पहुंचाई थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—3 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।
- 6— अकीला (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय आरोपीगण से उनका वाद—विवाद हो गया था। उक्त के संबंध में उसने पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 लेख कराई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को बयान देते समय आहत रिजाला को नाखून से आरोपीगण द्वारा खरोंचने वाली बात नहीं बताई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय और पुलिस को बयान देते समय आरोपीगण द्वारा आहत रिजाला को नाखून से खरोंचने वाली बात नहीं बताई थी। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।
- 7— परवीन बानों (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय आरोपीगण से उनका वाद—विवाद हो गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस कथन देते समय पुलिस को आरोपीगण द्वारा आहत रिजाला को नाखून से खरोंचने वाली बात नहीं बताई थी। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।
- 8— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वयं आहत रिजाला (अ.सा.3) ने अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। उक्त साक्षी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण साक्षी अकीला (अ.सा.1) एवं परवीन बानों (अ.सा.2) ने भी अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार स्वयं आहत रिजाला (अ.सा.3) व अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के द्वारा अभियोजन मामलें का समर्थन न करने से अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है, जिसका लाभ आरोपीगण को प्राप्त होता है।

उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने कथित घटना के समय आहत रिजाला को नाखून से खरोंच कर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत रिजाला को नाखून से खरोंचकर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलस्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। 10-

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) and the state of t न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट